न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–372 / 2014 / 223 (2014 / 00161)

समस्त ग्राम वासियान ग्राम जोहरखेड़ा जरियेः–

1. गोपी सिंह पुत्र हजारी सिंह
2. किशन सिंह पुत्र देवा सिंह
3. गोपी सिंह पुत्र नैनू सिंह
4. छीतर सिंह पुत्र उदय सिंह
5. प्रेमसिंह पुत्र रूप सिंह
6. मोटासिंह पुत्र देवा सिंह
7. चतुर सिंह पुत्र नैनू सिंह
8. कूप सिंह पुत्र गेंद सिंह
9. बींजा सिंह पुत्र मोती सिंह
10. पुखराज पुत्र नैनू सिंह
11. उंकार सिंह पुत्र हजारी सिंह
12. बाबूसिंह पुत्र मानसिंह
13. भैरू सिंह पुत्र लाडू सिंह
14. दीपा सिंह पुत्र वरदा सिंह
15. अमर सिंह पुत्र हजारी सिंह
16. लक्ष्मण सिंह पुत्र मान सिंह
17. बीरमसिंह पुत्र मान सिंह
18. धूल सिंह पुत्र लाल सिंह
19. हैरा सिंह पुत्र गुलाब सिंह
20. भंवरू सिंह पुत्र बिरदा सिंह
21. बाबूसिंह पुत्र हरजी सिंह
22. भगवान सिंह पुत्र गैन सिंह
23. भैरू लाल पुत्र सूरजमल
24. देवा सिंह पुत्र कज्जा सिंह
25. मगनसिंह पुत्र करीम सिंह
26. पन्ना सिंह पुत्र नाथा सिंह
27. मेंदू पुत्र नाथा सिंह
28. लक्ष्मण पुत्र भंवर सिंह
29. कालू सिंह पुत्र डूंगर सिंह
   समस्त जाति रावत, निवासी जोहरखेडा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।
30. मेवा सिंह पुत्र [illegible] जाति मेहरात, निवासी जोहरखेड़ा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
31. शंकर पुत्र मूला
32. मांगू पुत्र श्योराम
33. पॉचू लाल पुत्र लालू
   समस्त जाति कुम्हार, निवासी जोहरखेड़ा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. गणपत पुत्र गोपी
2. रणजीत पुत्र गोपी
3. श्रीमती भंवर बेवा गोपी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

4. कचरू पुत्र तेजाराम
5. महेन्द्र पुत्र तेजा राम नाबालिग जरिये संरक्षक कचरू
   जाति बावरी निवासी गोपालपुरा हाल निवासी रायपुर जिला पाली।
6. मांगू पुत्र छोगा जाति बावरी, निवासी गोपालपुरा हाल निवासी बांजाकुड़ी तहसील जैतारण जिला पाली।
7. ग्राम पंचायत ब्यावर खास जरिये सरपंच तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 5.02.2014 अंतर्गत वाद संख्या 75/2013.

उपस्थितः—

1. श्री अजीत सिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 8.
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 07 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 28.06.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.02.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है तहसीलदार, ब्यावर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम ब्यावर खास तहसील ब्यावर के खसरा नम्बर 974, 975, 976, 981, 982, 985, व 986 कुल किता 07 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी स्थित है पूर्व में यह भूमियॉ गोपी बल्द जवारा 1/2, हिस्सा मांगू वल्द छोगा 1/2 हिस्सा जाति बावरी (अनुसूचित जाति) के नाम दर्ज चली आयी है। वर्तमान में गोपी के स्वर्गवास के बाद जरिये नामान्तकरण संख्या 1352 दिनांक 06.12.2010 से उसके वारिसान के नाम अंकित हो चुकी है। उपरोक्त भूमियो को पूर्व में गोपी वल्द जवारा जाति बावरी ने जरिये इकरारनामा दिनांक 02.07.1986 के द्वारा अपना हिस्सा ग्राम जौहर खेड़ा के निवासीयान जो कि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति है को बेचान कर दी थी और कब्जा भी हस्तान्तरित कर दिया था। इसी मूल प्रकरण में यह भी अंकित किया हुआ है कि पटवारी हल्का ने अपनी जॉच रिपोर्ट में खसरा नम्बर 974, 975, 976, 981, 982, 985, व 986 कुल किता 07 रकबा 19 बीघा 17 की भूमियॉ अप्रार्थीगण के नाम दर्ज चली आ रही है एवं उक्त भूमियॉ मौके पर लगाातार पड़त चली आ रही है, इस पर पशु चरते है। उक्त भूमि पर ग्राम जौरहखेड़ा का राजकीय ए.एन.एम.(स्वास्थ्य केन्द्र) बना है तथा शेष भूमि खाली है।उक्त गैर अनुसूचित जाति के कब्जे में चला आ रहा है एवं इसी आधार पर तहसीलदार ब्यावर ने सिवायचक खाते प्रान्तीय सरकार दर्ज करने का निवेदन किया। दौराने प्रकरण अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 11.10.2013 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने दिनांक 05.02.2014 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी को स्वीकार कर, वादी का वाद निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.2014 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांटस एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने सर्वप्रथम धारा 96 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि राजस्व एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मौके पर वर्षो पूर्व से ग्रामवासियान ब्यावर खास तथा जौहरखेड़ा के मवेशियों के चराई हेतु विवादित भूमि उपयोग में होने के बावजूद ग्राम वासियान को पक्षकार मुर्तिब नहीं किया गया जबकि विवादित भूमि ग्राम वासियान की जरिये इकरारनामा क्रयशुदा भूमि है जिससे वादग्रस्त भूमि में ग्राम वासियान के हित निहित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से ग्राम वासियान के हक, अधिकार एवं स्वतत्व सीधे प्रभावित होते है जिससे ग्राम वासियान एवं प्रार्थीगण व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आते है। मान्नीय न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर प्रार्थीगण उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.02.2014 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुती की अनुमति प्रदान की जावें।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि ग्राम वासियान की जरिये इकरारनामा क्रयशुदा होकर चारागाह प्रयोग में भूमि उपयोग ली जाना सिद्ध होने के बावजदू ग्राम वासियान/प्रार्थीगण को पक्षकार मुर्तिब नहीं किया गया अर्थात साक्ष्य व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। तहसीलदार,ब्यावर द्वारा ग्राम पंचायत, ब्यावर खास को दिनांक 24.06.2014 को पत्र क्रमांक/भू0अ./2014/2938–44 दिनांक 8.07.2014 को उपस्थित होने हेतु प्रेषित किया जिस बाबत् सरपंच ग्राम पंचायत खास द्वारा ग्राम वासियान को जानकारी दी गई तब ग्राम वासियान ने अधीनस्थ के समक्ष जाकर जानकारी कर दिनांक 08.07.202014 को अभिभाषक से सम्पर्क कर कानूनी सलाह प्राप्त की, जिन्होने समस्त दस्तावेज एकत्रित कर अपील दिनांक 27.07.2014 को अपील तैयार करवाई एवं आज जानकारी से अन्दर मयाद प्रस्तुत की जा रहा है। न्यायालय हाजा से निवेदन किया कि अपील प्रस्तुती में हुई देरी को क्षमा की जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावें।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, ब्यावर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नही था क्योंकि धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रकरण वाद की परिभाषा में नहीं आता है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 22.06.2013 के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का कब्जा नहीं होकर ग्राम वासियान का कब्जा है तथा भूमि सार्वजनिक उपयोग यथा ग्राम के मवेशियों के चराई के उपयोग मे आ रही है तथा स्वास्थ्य केन्द्र बना हुआ है एवं हैण्डपम्प लगा हुआ है जो सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी सिद्ध हो चुका था कि तत्कालीन खातेदारान द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 02.07.1986 एवं 02.02.1988 के तहत् पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर ग्रामवासियान के हक में

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

चारागाह एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि का विक्रय कर इकरारनामा रूबरू गवाहान निष्पादित किया जा चुका था एवं उक्त इकरारनामों में नोटरी पब्लिक के समक्ष रूबरू गवाहान मौके पर ग्राम वासियान को कब्जा प्रदान करने बाबत् विक्रेतागण की स्वयं स्वीकृति प्रदान की गई जिससे खातेदारान का कब्जा ना होकर विक्रय दिनांक से ग्राम वासियान का कब्जा सिद्ध था जिससे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अंकित प्रावधान पूर्णतया प्रकरण पर लागू होते है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर वाद पत्र के घटको से बाहर जाकर आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय की फाइण्डिंग में यह कहीं भी अंकित नही किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ हो अथवा विधि द्वारा वर्जित वाद की संज्ञा मे आता हो जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र अतन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के तहत् प्रकरण कतई निरस्त नहीं किया जा सकता था। रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया था कि हल्का पटवारी द्वारा झूठी रिपोर्ट मुर्तिब की गई तथा तहसीलदार द्वारा गलत रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं रेस्पोडेन्टस द्वारा विवादित भूमि बाबत् कोई इकरारनामें निष्पादित नहीं किये गए है वरन कूटरचित है. लेकिन रेस्पोडेन्टस द्वारा कभी भी हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ना तो असत्य सिद्ध किया गया ना ही उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही की ना ही सक्षम न्यायालय द्वारा आज दिनांक इकरारनामा को कूटरचित होना ही सिद्ध किया गया है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.02.2014 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 75/2013 निरस्त फरमाया जाकर बाद साक्ष्य गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रति प्रेषित करने का आदेश प्रदान करे एवं विकल्प में निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमा कर धारा 175 राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमा कर वादग्रस्त भूमि कब्जेराज ली जाकर रिकार्ड में सिवायचक दर्ज की जाने का आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आर.बी. जे.(4) 1997 पेज 253, आर.बी.जे.(4) 1997 पेज 65 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है। जिसमें इकरारनामे के आधार पर किये गये विक्रय को आधार मानते हुए हुए की गई धारा 175 राज.काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही को राजस्व मण्डल के न्यायोचित माना है।

7. राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 8 ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. निराधर व मनगढत प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किये है, जो निरस्त योग्य है।

8. हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है।

9. अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में जो कारण अंकित किये है उनसे सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि में ग्राम वासियान के हित निहित होने से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकारान है, ऐसी स्थिति में न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवान स्वीकार किया जाना है

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

तथा अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

10. अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

11. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार करने के विधिक बिन्दुओं का कोई विवेचन वाद निर्णयन के वक्त नहीं किया गया है। कानूनी बिन्दुओं का निर्णयन बरवक्त धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निर्णय के दौरान होगा। अतःप्रीमेच्योर स्टेज पर दावा खारिज करना मूलभूत कानूनी बिन्दुओ की व्याख्या करने से विवर्जित करता है। रेस्पोडेन्टस ने विवादग्रस्त आराजीयात का बेचान /इकरारनामा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के विपरीत किया है। धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह प्रतिपादित किया गया है कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपनी भूमि किसी सवर्ण व्यक्ति को कानूनन हस्तातंरण नहीं कर सकता है और यदि हस्तातंरण कर देता है तो राज्य सरकार भूमि वापिस प्राप्त करने की अधिकारी है। रेस्पोडेन्टस ने विवादग्रस्त आराजीयात का बेचान/इकरारनामा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के विपरीत किया है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य पायी जाती है।

12. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.02.2014 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे तहसीलदार, ब्यावर को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए, गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। यदि प्रार्थना पत्र में प्रतिवाद किया जाये तो तनकीयात कायम कर उनकी विवेचना करते हुए वाद का निर्णय पारित करें। साथ ही तहसीलदार,ब्यावर को निर्देश दिये जाते है कि वे पुनः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 की उपखण्ड अधिकारी के समक्ष न्यायालय में चाराजोही करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.08.2022 को उपस्थिति होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर